

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग  
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार।  
Email:-(eefcdkatihar@gmail.com)

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या- 07/2025-26

पत्रांक 416 / कटिहार,

दिनांक 30 / 03 / 2026


कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार अन्तर्गत तटबंध सम्पोषण/आकस्मिक/निरीक्षण कार्य एवं अन्य कार्यों हेतु अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल कटिहार/अमदाबाद/लामा/कदवा के दिवा-रात्रि उपयोग हेतु भाड़े पर चार बोलेरो/स्कार्पियो (चालक सहित) वित्तीय वर्ष-2026-27 के लिए आवश्यकता है। आपूर्ति/सेवा हेतु आपूर्ति कर्ताओं/संवेदको/सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।  
कोटेशन की विवरणी:-

Sl. No.	Period	No of Vehicle
01	01.04.2026 to 31.05.2026	02
02	01.06.2026 to 31.10.2026	04
03	01.11.2026 to 31.03.2027	02

नियम एवं शर्तें निम्नवत् है:-

1. वाहन 31 मार्च 2027 तक भाड़े पर रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा किसी निजी कार्य या व्यवसायिक कार्य में नहीं किया जायेगा। संतोषजनक सेवा रहने पर मार्च 2028 तक एक साल के लिये एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है।
2. वाहन का मॉडल 2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिये एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म के द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, पैन कार्ड, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबाब देही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का किराया जिला प्रशासन कटिहार, के द्वारा निर्धारित दर 24400.00 (चौबीस हजार चार सौ मात्र) रूपये प्रतिमाह अथवा आपके द्वारा उद्धृत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार होगा तथा भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त हाने के पश्चात किया जायेगा।
11. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन दाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोष जनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना नोटिस के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। एकरारनामा 1000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
13. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
14. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
15. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता उक्त क्रमांक 01 से 15 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 08.04.2026 तक कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 3:00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेंगे, जिसे दिनांक 08.04.2026 के 3:30 बजे अपराह्न कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के कार्यालय में खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एवं एक से ज्यादा समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जायेगा, जिसकी सूचना (लॉटरी की तिथि) आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये Whatsapp Number/Email के माध्यम से दी जाएगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेगे अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 के कागजात एवं शपथपत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा। विशेष जानकारी कार्यालय में संपर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

  
(ई० अनिरुद्ध कुमार)

कार्यपालक अभियंता


बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार।

मो० नं०- 7463889238

पत्रांक .....416...../ कटिहार,

दिनांक.....30...../03/2026

प्रतिलिपि:-सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं हिन्दी में एक प्रति (सॉफ्ट तथा हार्ड प्रतियों में) विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु तथा कम से कम दो लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशन हेतु समर्पित किया जाता है।

  
(ई० अनिरुद्ध कुमार)

कार्यपालक अभियंता

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार।

मो० नं०- 7463889238